Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 13-2018/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, JANUARY 24, 2018 (MAGHA 4, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 जनवरी, 2018

संख्या 11/50/2017–4श्रम.– भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तं विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम 27), की धारा 62 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) तथा धारा 40 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा, हरियाणा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तं विनियमन) नियम, 2005 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :–

1. ये नियम हरियाणा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तं विनियमन) संशोधन नियम, 2018 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तं विनियमन) नियम, 2005 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 28 में, उप–नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा।

"(3) नियोजक अथवा ठेकेदार से यह प्रमाण–पत्र कि आवेदक भवन कर्मकार है, पंजीकरण हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। यदि ऐसा प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं है, तो निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र विचारणीय होगा , –

(i) सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य ;

(ii) सहायक श्रम आयुक्त/श्रम निरीक्षक ;

(iii) पंजीकृत सन्निर्माण कर्मकार यूनियन के प्रधान/उप प्रधान ;

(iv) जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी ;

(v) तहसीलदार/नायब तहसीलदार ;

(vi) खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी/सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी ;

(vii) सभी सरकारी विभागों/बोर्ड/निगमों जैसे कि लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के), सिंचाई, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पंचायती राज, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पुलिस आवास निगम, हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना एवं विकास निगम, हरियाणा आवास निगम, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, हरियाणा पर्यटन निगम, हरियाणा भण्डारण निगम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, हरियाणा विद्युत वितरण प्रणाली निगम, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम इत्यादि, के उप–मण्डल अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियन्ता ;

(viii) राज्य की नगरपालिका, नगर परिषद् तथा नगर निगमों के सचिव, कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियन्ता ;

(ix) कानूनगों तथा पटवारी ; तथा

(x) पंचायत सचिव/ग्राम सचिव।"

3 उक्त नियमों में, –

(i) उपान्तिक शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उपान्तिक शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"अशक्तता पेंशन/अशक्तता सहायता. धारा 62."; तथा

(ii) उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1) बोर्ड, लाभार्थी, जो लकवा, कुष्ट रोग, कैंसर, तपेदिक, दुर्घटना इत्यादि के कारण स्थाई रूप से अशक्त हो गया है, को अशक्तता पेंशन के रूप में प्रति मास तीन हजार रूपए की राशि स्वीकृत कर सकता है। पेंशन के अतिरिक्त, वह ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो बोर्ड द्वारा नियत की जाएं, तथा 50 प्रतिशतता तक की अशक्तता पर एक लाख पचास हजार रूपए, 51 प्रतिशत से 75 प्रतिशतता तक की अशक्तता पर दो लाख रूपए तथा 76 प्रतिशत और उस से अधिक की अशक्तता पर तीन लाख रूपए का अनुग्रहपूर्वक भुगतान का पात्र होगा।

4 उक्त नियमों में, नियम 57 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"57. मुख्यमन्त्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत नियोजन के दौरान मृत्यु उपरांत वित्तीय सहायता। (धारा–62).– बोर्ड, पंजीकृत सदस्य की मृत्यु की दशा में उसके आश्रित/नामनिर्दिष्ट को दो लाख रूपए की राशि वित्तीय सहायता के रूप में स्वीकृत कर सकता है। यदि मृत्यु नियोजन के दौरान कार्य स्थल पर दुर्घटना के कारण होती है, तो पंजीकृत सदस्य के आश्रित/नामनिर्दिष्ट को वित्तीय सहायता के रूप में पाँच लाख रूपए दिए जाएंगे "।

5 उक्त नियमों में, नियम 59 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"59. चिकित्सा सहायता (अस्वस्थता के दौरान मजदूरी की क्षतिपूर्ति) (धारा 62)– बोर्ड, लाभार्थी, जो दुर्घटना या किसी बीमारी के कारण अस्वस्थता के दौरान सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा सूचीबद्व निजी अस्पतालों में चार दिन से अधिक किन्तु अधिकतम तीस दिन कि अवधि तक दाखिल रहता है, को श्रम विभाग, हरियाणा द्वारा, समय–समय पर, अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दर पर मजदूरी की क्षतिपूर्ति के रूप में वित्तिय सहायता स्वीकृत कर सकता है। प्ररूप XX अथवा XXI में आवेदन ऐसे दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए "।

डॉ० महावीर सिंह,
प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

LABOUR DEPARTMENT

Notification

The 24th January, 2018

No. 11/50/2017-4Lab.— In exercise of the powers conferred by the Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 62 and Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 40 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (Central Act 27 of 1996), the Governor of Haryana hereby makes the following rules to further amend the Haryana Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2005, namely :-

1. These rules may be called the Haryana Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Amendment Rules, 2018.

2. In the Haryana Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2005 (hereinafter called the said rules), in rule 28, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted namely :-

"(3) Certificate from the employer or contractor that the applicant is a construction worker shall be produced alongwith the application for registration. In case such a Certificate is not available, a Certificate issued by any of the following may also be considered:-

(i) Assistant Director, Industrial Safety and Health;

(ii) Assistant Labour Commissioner / Labour Inspector;

(iii) President / Vice President of the registered construction workers unions;

(iv) District Development and Panchayat Officer;

(v) Tehsildar / Naib-Tehsildar;

(vi) Block Development and Panchayat Officer / Social Education and Panchayat Officer;

(vii) Sub Divisional Engineer and Junior Engineer of all the Government Departments / Board / Corporations *i.e.* Public Works Department (Bridges and Road), Irrigation, Public Health Engineering, Panchayati Raj, Haryana Urban Development Authority, Police Housing Corporation, Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation, Housing Board Haryana, Haryana State Agricultural Marketing Board, Haryana Tourism Corporation, Haryana Warehousing Corporation, Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam Limited, Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Limited, Haryana Vidyut Prasaran Nigam Limited, Haryana Power Generation Corporation Limited etc.;

(viii) Secretary, Executive Officer, Municipal Engineer, Junior Engineer of the Municipal Committees, Municipal Councils and Municipal Corporations in the State;

(ix) Kanoongo and Patwari;

(x) Panchayat Secretary / Gram Sachiv."

3. In the said rules, in rule 54,

(i) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted namely :-

"DISABILITY PENSION /DISABILITY ASSISTANCE [SECTION 62]" –

(ii) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted namely :-

"(1) The Board may sanction an amount of three thousand rupees per mensem as disability pension to a beneficiary who is permanently disabled due to paralysis, leprosy, cancer, Tuberculosis, accident etc. In addition to the pension, he / she shall be eligible for an ex-gratia payment of one lac fifty thousand rupees upto 50 percent disability, two lacs rupees from 51 percent to 75 percent disability and three lacs rupees from 76 percent and above percentage of disability and subject to such conditions, as may be fixed by the Board."

4. In the said rules, for rule 57, the following rule shall be substituted namely :-

"57. FINANCIAL ASSISTANCE ON ACCOUNT OF DEATH DURING THE COURSE OF EMPLOYMENT, UNDER MUKHYA MANTRI SHRAMIK SAMAJIK SURAKSHA YOJANA [SECTION 62] -The Board may sanction an amount of two lacs rupees to the dependents / nominee of a registered member towards financial assistance in case of death. If the death occurs due to accident during the course of employment at work place, the dependents/ nominee of the registered member shall be given five lacs rupees towards financial assistance."

5. In the said rules, for rule 59, the following rule shall be substituted namely :-

"59. MEDICAL ASSISTANCE (WAGE COMPENSATION DURING ILLNESS) [SECTION 62] -The Board may sanction financial assistance at the rate of minimum wage notified by the Labour Department Haryana from time to time as wage compensation to the beneficiary who is hospitalized due to illness caused by accident or any disease, beyond four days but upto a maximum period of thirty days in Government Hospitals or Private Empanelled Hospitals. The application in Form XX or XXI shall be submitted with such other documents as may be specified by the Board."

DR. MAHAVIR SINGH,
Principal Secretary to Government Haryana,
Labour Department.

55938—C.S.—H.G.P., Chd.